मि.सं.ई 11011/2/2020-हिंदी

भारत सरकार

संस्कृति मंत्रालय

(राजभाषा प्रभाग)

केंद्रीय सचिवालय ग्रंथागार, भू-तल,

शास्त्री भवन, नई दिल्ली,

दिनांक : 14 जून - 2022

कार्यालय ज्ञापन

विषय: विज्ञापन और प्रचार-प्रसार का कार्य हिंदी में करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय पर यह अवगत कराया जाता है कि संसदीय राजभाषा समिति द्वारा मंत्रालय के नियंत्रणाधीन कार्यालयों की निरीक्षण बैठक के दौरान पिछले एक वर्ष में हिंदी के विज्ञापन और प्रचार-प्रसार पर किए गए कम व्यय पर आपत्ति उठाई गई है। इस विषय पर मंत्रालय सहित नियंत्रणाधीन कार्यालयों द्वारा विज्ञापन और प्रचार-प्रसार के लिए प्रिंट मीडिया (अखबार/पत्रिकाओं, पैम्फलेट आदि), इलेक्ट्रॉनिक मीडिया (टी.वी./फिल्म आदि) और प्रदर्शन (बैनर होर्डिंग) आदि के कार्यों में क्षेत्रवार अन्य भाषाओं के साथ साथ हिंदी में कार्य किया जाना अनिवार्य है।

विज्ञापन और प्रचार-प्रसार करते समय आगे इस बात पर विशेष ध्यान दिया जाए कि अंग्रेजी और अन्य भाषाओं पर किए जाने वाले व्यय से हिंदी भाषा के विज्ञापन और प्रचार-प्रसार पर किया गया व्यय कम नहीं होना चाहिए।

14/06/22

(संजुक्ता मुदगल)

संयुक्त सचिव, भारत सरकार

वितरण :

1. सभी अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव/उप निदेशक/निदेशक, संस्कृति मंत्रालय।
2. संस्कृति मंत्रालय के सभी नियंत्रणाधीन कार्यालय।